न्यायालय भान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 दो–निगरानी/शिवपुरी/2018/

निगरानी–4332/2018/शिवपुरी/भू.रा.

1– महेश पुत्र गोधा सेहर

2– श्रीमती गुडडी पत्नि महेश सेहर

3– रबि पुत्र गोधा सेहर

सभी ग्राम श्यामपुर सतनवाड़ा

तहसील एंव जिला शिवपुरी ---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी ---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–4 की कंडिका 30 – श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 1/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–11–2017 के विरुद्ध)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदकगण जाति के आदिवासी सेहर हैं एंव भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं एंव पढ़े लिखे नहीं हैं जिसके कारण आजीविका चलाने हेतु श्रीमान तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 29/2001–02 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 31–5–2002 से ग्राम श्यामपुर में निम्नानुसार भूमि के पटटे प्रदान किये गये।

	भूमि स.क.	रकबा है.
1– महेश पुत्र गोधा सेहर श्रीमती गुडडी पत्नि महेश सेहर (पति/पत्नि का संयुक्त पटटा	9 मिन	0.800
2– रबि पुत्र गोधा सेहर	9 मिन	0.80

लगभग साढ़े तीन – साढ़े तीन बीघा अल्प भूमि के पटटे आजीविका चलाने हेतु दिये गये।

यह कि पटटा दिये जाने के बाद आवेदकगण होटल की मजदूरी के साथ साथ पिता से मिलकर खेती करने लगे, गॉव के व्यक्तियों ने हमारी प्रगति से जलभुनकर स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मिलकर पटटे की शिकायत कर दी जिस पर से अनु0अधिकारी शिवपुरी ने

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./4332/18/शिवपुरी/भू.रा.

महेश आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 1/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 20/11/2017 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	